दैनिक भारतीय बस्ती

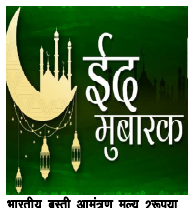

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 259 गुरूवार 11 अप्रैल 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

चंद्रघंटाः कल्याणकारी है मां दुर्गा की तीसरी शक्ति...

पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता।
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता।।

मां दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा–आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए।

उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है।

इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के दस हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र–शस्त्र से विभूषित हैं।

सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव–दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं।

नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है।

इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि–विधान के अनुसार परिशुद्ध–पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना–आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है।

ईद के मुबारक मौके पर भारतीय बस्ती के पाठकों, शुभेच्छुओं, विज्ञापनदाताओं को शुभकामना–

–सम्पादक

अवकाश सूचना

ईद के मौके पर भारतीय बस्ती प्रेस एवं कार्यालय 11 अप्रैल को बंद रहेगा। आगामी अंक 13 अप्रैल 2024 को प्रकाशित होगा। –व्यवस्थापक

ईद पर दिया बधाई

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह, आईजी आर.के. भारद्वाज, जिलाधिकारी अंद्रा वामसी, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने लोगों को ईद–उल–फितर पर्व की बधाई देते हुए उनके सुख एवं समृद्धि की कामना किया है। सभी अधिकारियों ने जनपदवासियों से अपील किया है कि आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार को मनाये।

जागरूक किये जा रहे हैं किसान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाडा के अन्तर्गत जे.ई./ए.ई.एस. रोग की रोकथाम हेतु चूहा एवं छछूंदर नियंत्रण कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैल तक संचालित है। उक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत समस्त कृषको एवं जनसमुदाय को रोग से बचाव एवं नियंत्रण हेतु जागरूक किया जा रहा है।उन्होने बताया कि अभियान में चूहा नियंत्रण का साप्ताहिक कार्यक्रम, चूहा नियंत्रण की अन्य विधाएं, चूहा नियंत्रण अभियान का कियान्वयन एवं मच्छर प्रतिरोधी पौधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

पतंजलि की माफी स्वीकार नहीं, कड़ी फटकार

नई दिल्ली (आभा)। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्होंने (रामदेव, बालकृष्ण) ने माफीनामा तब भेजा है जब ''उनकी गलती पकड़ ली गई है।'' न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ''हम इस मामले में इतने उदार नहीं बनना चाहते।'' बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम और बड़ी बातें कहीं।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने मामले में केंद्र की प्रतिक्रिया पर भी असंतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने कंपनी के संस्थापकों के साथ 'हाथ मिलाने' के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। न्यायालय ने इस मामले पर निष्क्रियता बरतने के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति भी कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि वह इसे हल्के में नहीं लेगा। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, ''हम यह जानकर चकित हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कुछ नहीं किया और वह चार–पांच साल से इस मुद्दे को लेकर गहरी नींद में था। आप पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं।'' कोर्ट ने कहा, 'आप लोगों की जिंदगियों से जुड़े काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के जीवन से खेल भी रहे हैं।'

चौपाल में भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने मांगा जनसमर्थन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बहादुरपुर, बस्ती। विकास क्षेत्र बहादुरपुर के धोलहा घाट मंदिर डेवाडीहा, शिव मंदिर कनैला, गौसपुर, करहली चौराहा व रजली बगियापार में बुधवार को लोकसभा क्षेत्र बस्ती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी ने जन सम्पर्क चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसमर्थन मांगा। इस दौरान उमरिया चौराहा सहित कई स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी का कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चौधरी ने किया।

चौपाल को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका एक वोट आपके बच्चे के भविष्य का निर्धारण करेगा। अन्य सरकारों में 65 वर्षों में जो काम नही हुआ वह काम मोदी सरकार ने अल्प समय में कर दिखाया है। भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के विकास हेतु भाजपा तुष्टिकरण, परिवार वाद, जातिवाद का सफाया कर रही है। क्षेत्र की जनता से एक बार पुनः भाजपा के पक्ष के समर्थन मांगा।

विभिन्न स्थानों पर चौपाल के दौरान ब्लाक प्रमुख रामकुमार, नागेश सिंह, कृष्ण कुमार दूबे, रवि सोनकर, संजीव पाण्डेय, लालजी चौधरी, दिलीप पाण्डेय, शैलेन्द्र दूबे, श्रुति अग्रहरि, मोहंती दूबे, आदित्य मिश्र, राहुल सिंह, वृजेश सिंह, अवधेश चौधरी, अमरनाथ चौधरी, सुनील चौधरी, फौजी पंकज सिंह, विनय सिंह, संतोष सिंह, राहुल सिंह, दिनेश पाण्डेय, विजयश्याम पाण्डेय, संदीप पाण्डेय, बब्लू पाण्डेय, गौरव बरनवाल के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

ईद को लेकर रौनक बढी, बाजार गुलजार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बनकटी (बस्ती)/ईद– उल–फितर (ईद) त्यौहार को लेकर चहल पहल और बाजार में रौनक है। इस पर्व का अपना–अलग ही महत्व है।जैसे आसमान में ईद का चाँद निकलता है। ईद की तैयारियां आरम्भ हो जाती है । लालगंज थाना क्षेत्र के सभी मस्जिदों में ईद की नमाज़ बृहस्पतिवार को अदा की जायेगी । ईद में कई जगहों पर मेला भी लगता है। बच्चे ईद में बहुत खुश रहते है।और चारो तरफ उत्साह और खुशियों का माहौल बना रहता है। ईद के समय बाजार भी खूबसूरत तरीके से सज जाते है। लोग एक दूसरे के घरो में ईद के दावत में शरीख होते है। गरीब हो या अमीर सभी लोग दिल से ईद मनाते हैं। रमजान महीने के कठिन परिश्रम,बलिदान,आस्था और रोजे के पश्चात ईद आता है। ईद का त्यौहार लोगो में प्रेम और भाईचारा का त्योहार होता है।

ईद के दिन लोग अपने परिवार वालो के साथ खुशी खुशी ईद मनाते है। इस दिन लोग नए–नए कपड़े पहनते है। ईद के दिन सभी घरो में सेवइयां बनती है। कई तरह के मीठे पकवान बनाये जाते है। ईद के दिन लोग नहाकर नए कपड़े पहनते है।और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हुए मुल्क में शांति व सलामति के लिए दुआ करते हैं । उसके बाद मस्जिद में सभी लोग मिलकर नमाज अदा करने के बाद सभी लोग भेद–भाव भूलकर एक दूसरे के गले लगते है। एक दूसरे के गले लगाकर लोग ईद मुबारक कहते है।

ईद के शुभ अवसर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ई. अरविन्द पाल, प्रमुख प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह,जिपसा सुरेंद्र तिवारी,मंडलाध्यक्ष विवेकानन्द शुक्ला,अतहर हुसैन शाही,डा. अनिल मौर्या आदि लोगों ने ईद की मुबारक देते हुए कहा कि ईद प्रेम,दोस्ती और भाईचारे का पैगाम देती है।

डायट में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, निशा वर्मा, सूची शुक्ला रहीं अव्वल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा कला क्राफ्ट, मेहंदी, ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर हस्तकला आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रशिक्षुओं द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया गया। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में प्रतियोगिता का अवलोकन किया गया। जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता में निशा वर्मा, ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता में सूची शुक्ला तथा क्राफ्ट प्रतियोगिता में विनोद चौधरी और उनकी टीम अव्वल रही। अव्वल प्रतिभागियों को पुरस्कृत करते हुए डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने प्रशिक्षुओं से कहा कि आप सभी इसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर भी कर सकते हैं अपने कला कौशल से समूह में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम का संयोजन वर्षा पटेल ने किया। प्रतियोगिता के सफल क्रियान्वयन में सहसंयोजक प्रवक्ता डॉ गोविंद, सरिता चौधरी, कल्याण पाण्डेय, वंदना चौधरी, मो. इमरान खान, डॉ रविनाथ, अलीउद्दीन खान, शशि दर्शन त्रिपाठी, कुलदीप चौधरी, अजय प्रकाश मौर्य, अमन सेन तथा डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने अपना योगदान दिया।

स्कूल चलो अभियान के तहत बीईओ के नेतृत्व में निकली जागरूकता रैली

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। हरैया विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर के बच्चों ने खण्ड शिक्षा अधिकारी हरैया बड़कऊ वर्मा के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान बच्चे अपने हाथों मे रंग बिरंगी झण्डियां तथा शिक्षा प्रेरक नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। मम्मी पापा हमें पढाओ, स्कूल चलकर नाम लिखाओ। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे आदि नारे लगाते हुए बच्चे चल रहे थे। प्रधानाध्यापक सन्तोष कुमार शुक्ल की अगुवाई में शिक्षक अभिभावकों से परिषदीय विद्यालयों की उपलब्धियां गिनाते हुए नामांकन कराने की अपील कर रहे थे। शिक्षकों ने खण्ड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। बीईओ बड़कऊ वर्मा ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क बेंच, पानी पीने के लिए टंकी , शौचालय, पंखे, स्मार्ट क्लास आदि की व्यवस्था है। कहा कि परिषदीय स्कूलों के बच्चे खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रदेश और देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अतः सभी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालय में ही कराएं। इस दौरान शिक्षक संकुल प्रभोद त्रिपाठी, रवीश कुमार मिश्र, जगदीप वर्मा, धर्मनाथ सिंह, सत्यप्रकाश, अंकुर मिश्र, गोविन्द सिंह आदि उपस्थित रहे।

मतदान की तैयारियां तेज, डीएम ने किया निरीक्षण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 को सकुशल, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने नवीन मण्डी का स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें उन्होने बने मतगणना एवं स्ट्रांगरूम स्थल के व्यवस्थाओं को देखा और संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने पाया कि परिसर में मिट्टी से नयी पटान की गयी है। इस संबंध में उन्होने रोलर से समतलीकरण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया।

इसके पश्चात जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने किसान डिग्री कालेज में बने कार्मिकों के ट्रेनिंग सेण्टर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने हाल/कमरों के फर्श पर समुचित साफ–सफाई ना पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि प्रत्येक कमरों के फर्श की धुलाई करायें। निरीक्षण में उन्होने यह भी पाया कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी उपयोग की गयी वस्तुओं का मलबा अनावश्यक रूप से पड़ा है। इस संबंध में उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल उसे हटवाये, जिससे पूरा परिसर स्वच्छ हो सके।

उन्होने गौरव गलियारा के समीप बने बड़े हाल में भी रंगाई–पुताई का कार्य कराये जाने का निर्देश किसान डिग्री कालेज के प्रधानाचार्या को दिया, जिससे निर्वाचन के दौरान आवश्यकतानुसार हाल का उपयोग किया जा सके। उन्होने ईओ नगरपालिका को निर्देशित किया कि परिसर के आस–पास साफ–सफाई निरन्तर बनी रहें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, सीडीओ/कार्मिक प्रभारी जयदेव सीएस, एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र, सीआरओ संजीव ओझा, उप जिलाधिकारी/एआरओ हरैया विनोद पाण्डेय, उप जिलाधिकारी/एआरओ बस्ती शत्रुञ्जन पाठक, उप जिलाधिकारी मनोज प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी केशवलाल, एआरटीओ पंकज कुमार, मण्डी सचिव महेन्द्र गुप्ता, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, क्षेत्राधिकारी पुलिस विनय सिंह चौहान, बीएसए अनूप तिवारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सपा के घोषणा पत्र में 10 बड़े वादे

लखनऊ (आभा)। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सपा के विजन डॉक्यूमेंट में अधिकारों की बात की है। सामाजिक न्याय ,लोकतंत्र बचाने का,मीडिया की आजादी का अधिकार आदि है। 2025 में जातीय जनगणना, 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि किसानों का कर्ज माफ किए जाएंगे। 2019 तक गरीबों का पूर्ण उन्मूलन किया जाएंगा। निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी देंगे। दूध समेत सभी फसलों की यह मार्च एमएसपी देंगे। कानून गारंटी के रूप में किसानों को एसपी किसानों के लिए सिंचाई की मुक्त व्यवस्था करेंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण और मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। उन्होंने जीडीपी तीन फीसदी से बढ़ाकर छह फीसदी करने का वादा किया। इसके साथ उन्होंने कर्मचारियों से पुरानी पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल करने के लिए वादा किया। उन्होंने कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है। अग्निवीर सोची समझी रणनीति है। अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने तकहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं, पुलिस पीएसी में भी तीन साल की नौकरी न कर दे। उन्होंने कहा कि गरीबों को घटिया राशन दिया जा रहा है। पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट 'जनता का मांग पत्र' (घोषणा पत्र) जारी करते हुए केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा करते हुए आशंका जताई कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो पुलिस और पीएसी में भी तीन साल की नौकरी कर देगी। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कहा कि इधर देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। गांवों में 90 प्रतिशत नौजवानों के पास न रोजगार है न नौकरी है। देश बहुत बड़ा है। संसाधन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है।

बकाया भुगतान की मांग को लेकर बस्ती चीनी मिल कर्मियों ने सपा विधायक महेन्द्रनाथ यादव को सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । बस्ती चीनी मिल के मशीनों को काटकर बेचे जाने और मिल के 160 कर्मचारियों को बकाया न देने का मामला गरमाता जा रहा है। बुधवार को सुगर मिल के कर्मचारियों संजय कुमार सिंह, साधू सिंह, रामशब्द चौधरी आदि ने मिल गेट पर सदर विधायक एवं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि श्रमिकों का बकाया भुगतान करने के बाद ही मिल को नीलाम किया जाय। ज्ञापन लेते हुये महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि मामला गंभीर है और वे इसका निस्तारण कराने के लिये हर संभव प्रयास करेंगे। कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को विधानसभा में प्रमुखता से उठाकर सरकार का ध्यानाकर्षण करायां जायेगा। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय 'ज्ञानू' भी उपस्थित रहे।

बस्ती सुगर मिल कर्मचारियों द्वारा दिये ज्ञापन में कहा गया है कि वे मेसर्स बस्ती सुगर मिल के कर्मचारी है। 160 कर्मचारी पिछले कई वर्षो से कार्यरत है, वर्ष 2013 से मिल बंद होने के कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। मिल प्रशासन, कर्मचारी यूनियन और तत्कालीन जिलाधिकारी के समक्ष बकाया भुगतान को लेकर 10 बिन्दुओं पर समझौता हुआ था। इसके तहत सभी बकाया भुगतान 30 दिसम्बर 2023 तक कर दिये जाने पर सहमति बनी थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि बकाया भुगतान करने के बाद मिल को नीलाम किया जायेगा। समय बीत जाने के बावजूद श्रमिकों का बकाया भुगतान नहीं किया गया उल्टे जिला प्रशासन और मिल प्रशासन की मिलीभगत से मिल की मशीनरी को अवैध तरीके से काटकर कबाड के भाव बेचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी मिल के मशीनरी को बिना बकाया भुगतान कराये काट कर बेंच दिया जायेगा। ज्ञापन में मांग किया गया है कि समझौते के अनुरूप बकाया भुगतान के बाद ही मिल की मशीनरी व सामग्री को बेचा जाय। मिल कर्मियों ने मांग किया कि वेतन, रिटेनर, बोनस, पी.एफ., गेच्युटी फाइनल सेटलमेंट के बाद ही मिल का सामान नीलाम हो। सदर विधायक एवं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष महेन्द्रनाथ यादव को ज्ञापन सौंपने वाले में मुख्य रूप से मिल कर्मचारी विनोद सिंह, रामवृक्ष यादव, रामदीन चौधरी, काशीराम यादव, उत्तम सिंह, कृष्ण कुमार मिश्र, जगरनाथ पाण्डेय के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

–मामला न सुलझा तो विधानसभा में उठायेंगे मुद्दा– महेन्द्रनाथ

सदैव याद किया जायेगा होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुएल हैनिमैन का योगदान –डा. वी.के. वर्मा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुएल हैनिमैन की जयंती बुधवार को पटेल एस.एम.एच. हास्पिटल एण्ड आयुष पैरा मेडिकल कालेज गोटवा में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रबंधक डा. वी.के. वर्मा, डाक्टर और छात्रों ने सैमुएल हैनिमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन् किया। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में डा. वर्मा ने उपस्थित लोगों को सैमुएल हैनिमैन और होम्योपैथी औषधियों के कारगर प्रयोग की विस्तार से जानकारी दिया। कहा कि होम्योपैथी अब भारत सहित पूरी दुनियां में मरीजों के साथ ही असाध्य रोगों का भी कारगर उपचार कर रही है। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

डा. वर्मा ने बताया कि सैमुएल हैनिमैन का जन्म 1755 में हुआ था। वह यूरोप देश के जर्मनी के निवासी थे वे एलोपैथी के चिकित्सक थे साथ में बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं के ज्ञाता भी थ । उनके पिताजी एक पेंटर थ उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी । स्कूली शिक्षा के बाद एक मेडिकल की तैयारी करने के लिए कॉलेज गए इनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा इनके कॉलेज के एक अध्यापक ने इनकी गरीबी को देखकर इनकी पढ़ाई में इनका सहयोग किया और पैसे की तंगी के बाद भी इनकी पढ़ाई लगातार चलती रही जब उन्होंने मेडिकल कंप्लीट किया तो इन्हें प्रेक्टिस करना था प्रेक्टिस करने के लिए ये गांव गांव में प्रैक्टिस करने लगे लेकिन प्रेक्टिस करने के दौरान उन्हें उस समय की चिकित्सा प्रणाली ठीक नहीं लगी क्योंकि उस समय आधुनिक तरह–तरह से चिकित्सा करने की प्रणालियों की कमी थी जिस वजह से उन्होंने अपनी प्रेक्टिस को बीच में ही छोड़ दिया और होम्योपैथी चिकित्सा का वरदान समूचे विश्व को दिया।

उपस्थित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुये डा. वर्मा ने बताया कि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और इसके द्वारा अनेक असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। सैमुएल हैनिमैन की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से डा. आलोक रंजन वर्मा, डा. मनोज मिश्र, डा. आर.एन. चौधरी, डा. अतुल कुमार श्रीवास्तव, डा. लालजी यादव, डा. आलोक वर्मा, डा. रीतेश चौधरी, डा. चन्द्रा सिंह, डा. अनीता वर्मा, विनय मौर्य, विशाल, सतीश चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, शिवशंकर, मनीष वर्मा, ध्रुवचन्द्र, मनोज गुप्ता, सविता श्रीवास्तव, जग प्रसाद, उदयभान, सूरज, राजेश सिंह, शिवशंकर, उत्कर्ष दूबे, डा. श्रवण कुशवाहा, रामस्वरूप, गोल्डी, मनीषा, अतुल, सतीश, पूजा वर्मा, माया वर्मा, शालू, फूलपती के साथ ही छात्र शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 11 अप्रैल 2024 गुरूवार

सम्पादकीय

विकास और पर्यावरण

दशकों से निरंतर बहस का विषय रहा है कि हमारी प्राथमिकता विकास हो या पर्यावरण। जिन समाजों को विकास के चलते विस्थापन झेलना पड़ता है, वे विकास को विनाश की संज्ञा देते रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों व पर्वतीय इलाको में बांध व अन्य बड़ी विकास परियोजनाओं के अस्तित्व में आने पर विरोध के सुर गाहे–बगाहे उभरते रहे हैं। ऐसे में न्यायिक फैसले सरकारों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया है जिसे विकास तथा पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से नजीर का फैसला कहा जा रहा है। यह फैसला एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और दुर्लभ प्रजाति के पक्षी सोन चिड़िया को लेकर है। दरअसल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़िया के अस्तित्व के लिये राजस्थान और गुजरात के इलाके में घातक माने जा रहे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अनुकरणीय फैसला दिया है कि जो आने वाली पढ़ियों के लिये मार्गदर्शक साबित हो सकता है। जो न्यायिक दृष्टि में भी बदलाव का पर्याय है। दरअसल, अब तक अधिकांश अदालत के फैसले पर्यावरण के पक्ष में या फिर विकास के पक्ष में जाते रहे हैं। लेकिन अदालत ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के लिये विकास जरूरी है तो पारिस्थितिकीय संतुलन भी जरूरी है। अदालत के फैसले के आलोक में मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग संकट और उसके दूरगामी प्रभाव भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने जलवायु परिवर्तन तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन को देश के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की दृष्टि से जोड़कर देखा है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोर्ट ने अपना पुराना फैसला भी इस संकट को दूर करने के लिये बदला है। दरअसल, गुजरात व राजस्थान के करीब नब्बे हजार वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट दुर्लभ पक्षी सोन चिड़िया के अस्तित्व पर खतरा बन रहा था। जिस पर शीर्ष अदालत ने एक फैसले में रोक लगा दी थी।

दरअसल,अदालत को तब बताया गया था कि विद्युत तारों के संपर्क में आने से इन पक्षियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। ये बिजली की तारें उस क्षेत्र में लगायी गई हैं जहां इन पक्षियों का आना–जाना होता है,जिनसे ये पक्षी बड़ी संख्या में टकराकर दम तोड़ देते हैं। अदालत के फैसले के चलते सौर ऊर्जा की महत्वाकांक्षी योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। दरअसल, यह इलाका सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से खासा उर्वरा माना जाता है। ऐसे में अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया कि जहां एक ओर सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य भी पूरे हों, वहीं पक्षियों के अधिवास व जीवन की भी रक्षा हो सके। बीच का रास्ता निकालते हुए अदालत ने फैसला दिया कि 77 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन प्रभावी रहेंगी। वहीं दूसरी ओर तेरह हजार वर्ग किमी के क्षेत्र को इन दुर्लभ पक्षियों के अधिवास के रूप में सुरक्षित करने को कहा है। अदालत का मानना था कि सरकारें ग्लोबल वार्मिंग के संकट के चलते अपनी रीति–नीतियों में जो परिवर्तन कर रही हैं, उन्हें संविधान के मूल अधिकारों से जोड़ने की जरूरत है। ऐसा इसलिये जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से आम लोगों का जीवन गहरे तक प्रभावित हो रहा है। वहीं जीवन यापन के लिये पर्याप्त ऊर्जा की लोगों के लिये उपलब्धता सुनिश्चित करना भी सराकारों का प्राथमिक दायित्व है। यह मामला लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा भी है। आने वाले सालों में देश की ऊर्जा जरूरतों में व्यापक वृद्धि का आकलन किया जा रहा है। जिसे वैकल्पिक ऊर्जा के जरिये ही पूरा किया जा सकता है। जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी। जो देश के पर्यावरण प्रदूषण को घटाने में भी सहायक हो सकती है। साथ ही भारत को वैश्विक संस्थाओं को जीवाश्म ईंधन का उपभोग घटाने के वायदे को भी पूरा करना है। इसके लिये जरूरी है कि हम स्वच्छ ऊर्जा के अधिक से अधिक उत्पादन को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह हमारे नीति–नियंताओं के लिये भी मार्गदर्शक फैसला है कि हम अपने पारिस्थितिकीय तंत्र को संरक्षित करते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ें।

बाल–तस्करी का बढ़ता दायरा

–ललित गर्ग–

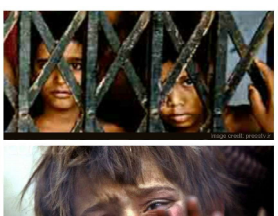

देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जांच एजेंसियों की नाक के नीचे नवजात बच्चों की खरीद–फरोख्त की मंडी चल रही थी जहां दूधमुंहे एवं मासूम बच्चों को खरीदने–बेचने का धंधा चल रहा था। दिल्ली की 'बच्चा मंडी' के शर्मनाक एवं खौफनाक घटनाक्रम का पर्दापाश होना, अमानवीयता एवं संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा है। जिसने अनेक ज्वलंत सवालों को खड़ा किया है। आखिर मनुष्य क्यों बन रहा है इतना क्रूर, अनैतिक एवं अमानवीय? सचमुच पैसे का नशा जब, जहां, जिसके भी सर चढ़ता है वह इंसान शैतान बन जाता है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में क्रेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी कर ऐसे ही शैतानों के कुकृत्यों का भंडाफोड किया और एक महिला समेत सात लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया, इसके साथ ही तीन नवजात शिशुओं को उनके चंगुल से बचाया। आरोपियों में एक अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर को इस धंधे का मास्टर माइंड माना जा रहा है। न केवल दिल्ली वालों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए यह खबर चिंता पैदा करने वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने वाली भी है।

दिल दहाले देने वाली इस घटना में सीबीआई की अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते थे। आरोपी कथित तौर पर वास्तविक माता–पिता के साथ–साथ सेरोगेट माताओं से भी नवजात बच्चे खरीदते थे। इन नवजात बच्चों को चार से छह लाख रुपए में बेच दिया जाता था। जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के अनुसार एजेंसी की गिरफ्त में आए आरोपी बच्चों को गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। आरोपी कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी करने में भी संलिप्त हैं। इस गिरोह के तार कहां–कहां हैं इसकी भी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। यह गिरोह आईवीएफ के माध्यम से युवतियों को गर्भधारण कराता था फिर इन शिशुओं को बेचता था। गरीब माता–पिता से भी बच्चे खरीदे जाते थे। बच्चों की खरीद–फरोख्त और बच्चों की तस्करी एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी ध्यान जाता है जब कोई सनसनीखेज खबर सामने आती है।

अर्थ की अंधी दौड़ में इंसान कितने क्रूर एवं अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने लगा है कि चेहरे ही नहीं चरित्र तक अपनी पहचान खोने लगे हैं। नीति एवं निष्ठा के केन्द्र बदलने लगे हैं। मानवीयता एवं नैतिकता की नींव कमजोर होने लगी है। आदमी इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसकी सारी संवेदनाएं सूख जाती है। बाल तस्करी के खिलाफ कई सख्त कानूनी प्रावधानों के बावजूद भारत में यह समस्या नासूर बनती जा रही है। नवजात बच्चे चुराने वाले गिरोह के पर्दाफाश से फिर यह तथ्य उभरा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में कानून का कोई खौफ नहीं है। बच्चों की तस्करी पर भारी जुर्माने के साथ उम्रकैद तक का प्रावधान होने के बावजूद यह कड़वी हकीकत है कि ऐसे दस फीसदी से भी कम मामले दोषियों को सजा तक पहुंच पाते हैं। मुकदमों की पैरवी सही तरीके से नहीं होने के कारण अपराधी बच निकलते हैं और वे फिर बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोख्त में लिप्त हो जाते हैं।

बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोख्त के अनेक कारण हैं। निसंतान दंपतियों द्वारा बच्चों को खरीदना एकमात्र कारण नहीं है बल्कि गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, सुविधावादी जीवनशैली, भौतिकवाद, बच्चों की अधिक संख्या, बेरोजगारी भी बड़ा कारण है। पैसे की अपसंस्कृति ने अपराधों को अनियंत्रित किया है। पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद–फरोख्त के व्यापार में लग गए हैं। वो गरीब लोगों को बहकाकर उनके बच्चों को काम दिलवाने का झांसा देकर शहर ले जाते हैं फिर शहर में जाकर उन बच्चों को बेचा जाता है फिर शुरू होता है बच्चों के शोषण का अंतहीन सिलसिला। जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपराधी अगवा कर बेच देते हैं। लड़कियों को देह व्यापार के लिए विवश किया जाता है। हजारों बच्चों को फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। 16–16 घंटे काम कराके इन को भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता। इन सब कारणों से देश का बचपन कराह रहा है।

देश में युवाओं के एक वर्ग की सोच में बदलाव भी परोक्ष रूप से बाल–तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। एक सर्वे में खुलासा हुआ था कि भारत के नौ फीसदी युवा शादी तो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। संतान सुख के लिए उन्हें बच्चे खरीदने से परहेज नहीं है। हैरत की बात यह है कि देश के ढाई करोड़ से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा कई बार बाल तस्करी करने वालों से संपर्क तक साध लेते हैं। बाल–तस्करी भारत की एक उभरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2016 से 2022 के बीच बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे, तीसरे नंबर पर थे। इस अवधि में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भी कई मामले दर्ज हुए। कोरोना काल के बाद दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों में 68 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह भी देखने में आया कि जिलों की बाल तस्करी से जुड़े मामलों में जयपुर पहले स्थान पर रहा।

पिछले साल संसद में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2021 में हर दिन औसतन आठ बच्चों की तस्करी हुई। देश के ही भीतर यह तस्करी होती है लेकिन संगठित गिरोह कुछ बच्चों की खाड़ी और दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में भी तस्करी करते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच देश में 18 साल से कम उम्र की 2.51 लाख लड़कियां लापता हुईं। इनमें से ज्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थी। बचपन अगर बाल तस्करी के बीच फंसकर रह जाए तो बच्चा अपने बचपन, क्षमता और मानवीय गरिमा के साथ–साथ शारीरिक और मानसिक विकास से भी वंचित रह जाता है। गौरतलब है कि बच्चों के घरेलू काम, विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम, भीख मांगना, अंग तस्करी और व्यावसायिक यौनकर्म जैसी अवैध गतिविधियां बाल तस्करी की कोख से ही जन्म लेती हैं। सरकार और समाज को इससे मिलकर निपटना होगा। इस समस्या की जड़ में गरीबी भी है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावहारिक और ठोस नीति बनाई जानी चाहिए कि बाल तस्करी के समूल उन्मूलन की जमीन तैयार हो सके।

इसे देश की विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि आज बहुत से अजन्मे मासूम तो मां के गर्भ में आते ही जीवन–मृत्यु से जूझने लगते हैं। जन्म लेने के बाद इस देश में बच्चों को बेच दिया जाता है या ऐसे बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग चौराहों, रेलवे स्टेशन, गली–मोहल्ले में भीख मांगता मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का बचपन होटलों पर काम करते या जूठे बर्तन धोते हुए या फिर काल कोठरियों में जीवन बिताते हुए कट जाता है। यों भी कह सकते हैं कि उनका जीवन आज अंधेरे में कट रहा है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत का बचपन आर्थिक कारणों से घायल है। बच्चे को बेचे और खरीदे जाने में जितने लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह नये बनते भारत के भाल पर एक बदनुमा दाग है। क्यों कानून का डर ऐसे अपराधियों को नहीं होता? क्यों सरकारी एजेंसियों की सख्ती भी काम नहीं आ रही है और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न है कि ऐसी विकृत एवं अमानवीय सोच क्यों पनप रही है?

शहरी जल संकट की चुनौतियां

–देविंदर शर्मा–

कई साल पहले, मैंने टाइम्स पत्रिका में एक बहुत दिलचस्प लेख पढ़ा था 'केप टाउन के भारी जल संकट के बीच जीना कैसा होता है।' इस डर से कि आने वाले महीनों में शहर सूख जाएगा, दक्षिण अफ्रीका पहला शहर बन गया जिसने न केवल चेतावनी दी, बल्कि यह भी बताया कि जब नल सूख जाएंगे और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल ढूंढे से भी नहीं मिलेगा तो यह कितना भयानक होगा।

पिछले कुछ हफ्तों में, बेंगलुरु जिस गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, उस पर कई लेख आए हैं, जिनमें शहर के कुछ हिस्सों में ऊंची इमारतों के निवासियों को पड़ोसी मॉल में शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर होने की खबरें शामिल हैं जो केप टाउन के दुखद कल्पनाओं वाले परिदृश्य के समान हैं। विशेष रूप से देश के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक लेख 'जब नल सूख जाते हैं' में दिखाया गया कि कैसे कभी झीलों का शहर, जैसा कि इसे कभी जाना जाता था, एक शहरी कंक्रीट का जंगल बन गया, 'आर्थिक विकास' का शिकार हो गया। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की सीमा मुंदोली ने अपने विचारोत्तेजक लेख में वास्तव में पाठकों को तीन 'आर' यानी– हमारे रिश्ते, हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां दृ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि कैसे शिक्षित लोगों ने सपनों को इतनी तेजी से धूमिल होने दिया है।

यही पर मुझे लगता है कि बेंगलुरु के जल संकट की तुलना पंजाब के भूजल में चिंताजनक गिरावट से करना महत्वपूर्ण हो गया है। पानी की अधिक खपत करने वाली धान की खेती को तेजी से भूजल की कमी के पीछे प्रमुख कारण बताया जा रहा है, जबकि 138 विकास खंडों में से 109 से अधिक ब्लॉक पहले से ही डार्क जोन, जहां निकासी की दर पुनः आपूर्ति की दर से अधिक है, में आते हैं। पानी की तलाश ने किसानों को अधिक गहराई तक जाने के लिए सबमर्सिबल पंप स्थापित करने के लिए उकसाया है, और कई मामलों में इसे सीधे जलीय चट्टानी परत से प्राप्त किया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि पंजाब का भूजल जल्द ही खत्म हो जाएगा, कुछ का तो यह भी अनुमान है कि भूजल 17 साल से अधिक नहीं टिकेगा।

पंजाब में, कई दशकों से फसल विविधीकरण का सुझाव दिए जाने के बावजूद, धान का क्षेत्रफल असल में बढ़ा है। इस वर्ष, पंजाब में धान का सबसे अधिक रकबा और सर्वाधिक उपज भी दर्ज की गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धान की फसल में 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5,000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग होता है। पंजाब केंद्रीय भंडार में चावल का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। इसलिए यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर भी, ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारें धान के लिए आर्थिक रूप से कोई ठोस विकल्प लेकर नहीं आई हैं, फसल विविधीकरण अभी तक जड़ें नहीं जमा सका है।

आश्चर्य होता है कि अगर फसल विविधीकरण पंजाब के लिए एक समाधान है, तो बेंगलुरु के मामले में यह 'शहर विविधीकरण' क्यों नहीं हो सकता? महानगर की वहन क्षमता को देखते हुए, शहर अब चरमरा रहा है। 2011 में 8.7 मिलियन से, अगले 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़कर 2021 तक अनुमानित 12.5 मिलियन हो गई। अब तक यह 15 मिलियन के करीब होगी। इसलिए जनसंख्या में इतनी अनियंत्रित वृद्धि की अनुमति देने के लिए नीति निर्माताओं को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सभी दिशाओं में फैलने के बजाय, बेंगलुरु शहर का विविधीकरण किया जा सकता था दृ पड़ोसी शहरों को आबादी के प्रवाह को संभालने के लिए प्रोत्साहित करके।

किसी भी स्थिति में, 'शहरों और समुदायों का सतत विकास एसडीजी 11 के अंतर्गत आता है, और यह एसडीजी 8 से भी जुड़ा है जो 'सभ्य कार्य और आर्थिक विकास' की बात करता है। 'शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लोचशील और टिकाऊ' बनाना एसडीजी 11 द्वारा निर्धारित कार्यों में से एक है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शहरी फैलाव को प्रतिबंधित करना शहर की नगर परिषदों का कार्य होना चाहिए था। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं। ऐसे तदर्थ निर्णय ऐसे किसी संकट का समाधान नहीं कर सकते जो कि भयावह भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही, जिस तरह से झीलों और जल निकायों का नेटवर्क शहरीकरण की भेंट चढ़ गया है, उसे कुछ अपरिहार्य रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत, यह प्रशासनिक ताकत के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है जिसने झीलों को बिल्डरों द्वारा हड़पने की अनुमति दी। कई झीलें शहर द्वारा प्रतिदिन फेंके जाने वाले भारी कूड़े–कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गई हैं। झीलों को पुनर्जीवित करने के जन आंदोलन के बावजूद प्रशासन नींद में है। अब भी, उदाहरण के लिए, सभी की निगाहें शहर के पूर्वी हिस्से में जुन्नसांद्रा झील के 24 एकड़ में आवास परिसर स्थापित करने पर हैं, जो सूख गई है। आईटी हब के आसपास, हलनायकनहल्ली झील सभी प्रकार के मलबे और कचरे का डंपिंग ग्राउंड है। जैसा कि किसी ने कहा, 'कई झीलें बारहमासी बन गई हैं– कचरे और मलबे के साथ!'

धान की बढ़ती खेती के साथ–साथ पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए भी दोषी ठहराया जाता है। ऐसी गलती करने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर, जुर्माना, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री और सब्सिडी वाले इनपुट की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने जैसे कुछ अन्य कदम उठाए जाते हैं। मगर प्रशासनिक अधिकारियों और रियल एस्टेट कंपनियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जाती जिन्होंने उस जमीनों पर कब्जा कर लिया जहां पर कभी झीलें और जलाशय होते थे। पर्यावरणीय चूक के लिए जब शहरी बाशिंदों और किसानों को दंडित करने की बात आती है तो दोहरे मानदंड किसलिए होने चाहिये? शहरियों से नरमी का बर्ताव किया जाता है जबकि सभी तरह की दंडात्मक कार्रवाई किसानों पर की जाती है? हरेक तरह की आर्थिक गतिविधि के लिए हमेशा पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है। परंतु जब जल संकट जैसी बड़ी समस्याओं को संबोधित करने की बात आती है तो निजी क्षेत्र किसी साझे प्रयास में हाथ मिलाने के लिए इच्छुक नजर नहीं आता है।

रोचक तौर पर, एक फेसबुक पोस्ट में सुझाव दिया गया था कि नारायणमूर्ति ने अपने 4 माह के पोते को 240 करोड़ रुपये की कीमत का जो शेयर गिफ्ट किया था उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था यदि ऐसी राशि उस भीषण जल संकट के लिए दानस्वरूप प्रदान की जाती जिसका असर शहर के भविष्य पर हो रहा है। बहरहाल, जिस शहर में आप रहते हैं उसके किसी असाधारण संकट की चपेट में आने के समय उसके लिए खड़े होने की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निश्चित तौर पर सामूहिक जिम्मेदारी होती है।–लेखक कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञ हैं।

होमियोपैथी औषधियों के हैनिमैन जी जनक कहाये

प्रमुदित धरा हुई रसवन्ती।
हैनिमैन की आज जयन्ती।
डॉ० हैनिमैन जी सचमुच।
त्याग दया के थे प्रतिमूर्ति।
अद्भुत उर्जा उनके भीतर।
थी कितनी उनमें स्फूर्ति।
होमियोपैथी औषधियों के।
हैनिमैन जी जनक कहाये।
अपनी कर्मठता से जग को
यह सस्ता उपचार बताए।
होमियोपैथी औषधि के थे।
डा0 हैनिमैन निर्माता।
उनके ऊपर अब भी करती।
गर्व हमारी भारत माता।
आओ डा0 हैनिमैन का।
जन्म दिवस हम लोग मनाये।
उनके श्री चरणों में वर्मा।
श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाए।

(डा० वी० के० वर्मा)
आयुष चिकित्साधिकारी,
जिला चिकित्सालय बस्ती
नोडल अधिकारी मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष
अध्यक्ष–रिसर्च सोसायटी ऑफ होम्योपैथी
बस्ती, (उ. प्र.)

थर्ड जेंडर और बीएलओ के साथ हुआ संवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान

संवाददाता—महराजगंज। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रशासन की कोशिशें तेज हो गई हैं। बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलक्ट्रेट सभागार में डीएम अनुनय झा की अध्यक्षता में थर्ड जेंडर और बीएलओ के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी से लोकतंत्र को मतबूत करने का आह्वान किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ वार्ता करते हुए डीएम ने कहा कि चुनाव सबकी भागीदारी से ही सही मायनों में पूरा होता है। कहा कि आप लोग समाज व लोकतंत्र की प्रमुख हितधारक हैं, इसलिए आपका चुनाव में मतदान करना लोकतंत्र की सफलता के लिए बेहद अहम है। सभी लोग आगामी 1 जून को निर्धारित चुनाव में अपना वोट अवश्य दें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। डीएम ने ट्रांस जेंडर समुदाय के सदस्यों से उनकी समस्याओं को बताने का आग्रह भी किया, ताकि प्रशासन के स्तर से उनका प्रभावी निस्तारण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य मतदान में सकारात्मक परिवर्तन करना है। साथ ही मतदाताओं को अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करना भी है। कहा कि अगर किसी ट्रांसजेंडर मतदाता का वोटर कार्ड नहीं बना है, तो यहां नोट करा दें। साथ ही अपने अन्य साथी जिनका वोटर कार्ड नहीं है उनका भी नाम नोट करा दें। प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर वोटर कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी बीएलओ को अगले 10 दिनों में ट्रांसजेंडर सहित वंचित वर्ग के छूटे हुए मतदाताओं के वोटर कार्ड बनवाने का निर्देश दिया।

डीआईओएस अमरनाथ राय ने कहा कि महराजगंज जनपद पिछली बार मतदान में प्रदेश के औसत के बराबर था। लेकिन इस बार राष्ट्रीय औसत को पार करने का लक्ष्य निर्धारित कर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। संचालन करते हुए अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि इस चुनाव में मतदान से कोई भी मतदाता वंचित न रहे। इस कार्यक्रम में आपके सम्मान के माध्यम से प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि आपका समाज और लोकतंत्र में सम्मानित स्थान है। ऐसे में सभी से अनुरोध है कि न सिर्फ अपना मत दीजिये, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस दौरान एसडीएम सदर रमेश कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय प्रकाश, तहसीलदार अमित सिंह, एक्सईएन विद्युत राहुल शर्मा, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, जिला युवा कल्याण अधिकारी वैभव सिंह समेत बड़ी संख्या में बीएलओ और ट्रांसजेंडर मतदाता उपस्थित रहे। डीएम अनुनय झा ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय को आमंत्रित किया गया था। उनको सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा शत—प्रतिशत वोटिंग को सुनिश्चित करना है। महराजगंज जनपद में कुल 92 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और प्रशासन का प्रयास है कि सभी लोग अपना वोट जरूर करें। साथ ही इस संवाद कार्यक्रम से यह भी जानने का अवसर मिला कि कुछ ट्रांसजेंडर मतदाताओं का वोटर कार्ड अब तक नहीं बना है। तत्काल संबंधित को छूटे हुए लोगों का वोटर कार्ड बनवाना का निर्देश दिया गया हुआ। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी ट्रांसजेंडर मतदाता मतदान से छूटने न पाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से थर्ड जेंडर के साथ—साथ सभी लोगों को अपने मत का प्रयोग करने का संदेश दिया जा रहा है।

संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर विवाहिता ने दी जान

संवाददाता—श्रावस्ती। हरदत्त नगर गिरंट के ग्राम महादेवा सलारपुर निवासी एक विवाहिता की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिसकी लाश उसी के कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे के सहारे लटकी मिली। सूचना पर पहुंची हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने लाश का पंचनामा भराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। बहराइच जिले के थाना खैरी घाट क्षेत्र के ग्राम लौकिहा शिवपुर निवासी रामजस पुत्र वेफई ने अपनी पुत्री पर्वता (19) का विवाह छह माह पूर्व हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के ग्राम महादेवा सलारपुर निवासी तुलसीराम पुत्र महंगू साथ किया था। पर्वता की मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जिसकी लाश उसी के कमरे में छत के कुंडे से साड़ी के फंदे के सहारे लटक रही थी। मायके पक्ष की सूचना पर पहुंची हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया। जिसका नायब तहसीलदार जमुनहा शुभम तिवारी से पंचनामा भराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया है। मामले में मृतका के पिता रामजस ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी पुत्री पर्वता पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक हरदत्त नगर गिरंट अनिल उपाध्याय ने बताया लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर मौत के सही कारणों का पता चलेगा। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

धर्मस्थलों के साथ ईदगाह की हुई साफ—सफाई

संवाददाता—गोण्डा। वासंतिक नवरात्र को दूसरे दिन भी जिला प्रशासन के निर्देश पर पालिका गोण्डा की ओर से शहरी क्षेत्र के देवी मंदिरों काली भवानी मंदिर, रोडवेज स्थित माता रानी का मंदिर व अन्य मंदिरों की साफ सफाई कराई गई।

इसके साथ ही रमजान के अंतिम दिन मस्जिदों व पटेल नगर स्थित ईदगाह की साफ सफाई और चूने आदि का छिड़काव किया गया। जिससे चांद दिखने के बाद दूसरे दिन नमाजियों को सहूलियतें मिल सके। ईओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह से ही विभिन्न इलाकों में जेसीबी के साथ टीमें लगा दी गई थी। टीम में मो. फराज, मो शारीफ व अन्य शामिल रहे।

सीओ ने ली परेड की सलामी, पुलिस लाइन का निरीक्षण किया

संवाददाता—श्रावस्ती। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बुधवार सुबह साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। सीओ ने परेड की खामियों को सुधारने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस लाइन का निरीक्षण कर जायजा लिया। क्षेत्राधिकारी जमुनहा सतीश कुमार शर्मा ने बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचकर आयोजित साप्ताहिक परेड की सलामी ली। साथ ही परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने को परेड की दौड़ भी लगवाई। परेड में मिली खामियों में सुधार करने को कहा। इसके बाद सीओ ने रिजर्व पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्द, जीडी कार्यालय, कैश कार्यालय, शस्त्रागार, परिवहन शाखा, डीसीआर शाखा, मालखाना स्टोर का निरीक्षण कर जायजा लिया। आरक्षी बैरक तथा पुलिस लाइन आवास के आस—पास साफ—सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया। उन्होंने आदेश कक्ष में पहुंचकर गार्द रजिस्टरों की जांच की और गार्द की सुरक्षा ड्यूटी के संबंध में सभी गार्द कमांडरों को जरूरी निर्देश दिया।

पेड़ी प्रबंधन अपनाकर बढ़ाएं गन्ने की पैदावार -संजीव शर्मा

संवाददाता—बलरामपुर। बजाज चीनी उतरौला परिक्षेत्र के ग्राम सहियापुर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक गन्ना संजीव कुमार शर्मा ने किसानों को बताया कि पेड़ी प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। पेड़ी प्रबंधन अपना कर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पेड़ी प्रबंधन में गन्ना कटते ही तत्काल सिंचाई, खाद व गुड़ाई अवश्य करें। इससे फसल अच्छी होगी। साथ ही फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों की रोकथाम के लिए 150 मिली. कोराजन को एक एकड़ खेत के लिए 400 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने की जड़ों के पास मोटे फव्वारे से ड्रेंचिंग करें। जिससे प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा। बसंत कालीन गन्ना बुवाई अधिक से अधिक क्षेत्रफल में करें। उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों का अधिक पैदावार देने वाली गन्ना प्राजाति को0—0118,15023 कोलख—14201का दो आंख के टुकड़े कर गन्ना बीज उपचार एवं भूमि उपचार कर ट्रेंच विधि से बुवाई करें। इस मौके पर चीनी मिल अधिकारी योगेश त्रिपाठी, विजय पाण्डेय, अरविंद सिंह, रामायन पाण्डेय, कृषक गनपत यादव, रामसागर, सालिकराम, रामसेवक, रजीउद्दीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

एसएसबी जवानों ने किया आग से बचाव का अभ्यास

संवाददाता—श्रावस्ती। 62वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय भिनगा में बुधवार को कमांडेन्ट रवीन्द्र कुमार राजेश्वरी की अध्यक्षता में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें एसएसबी जवानों को आग से सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। साथ ही बचाव का अभ्यास कराया गया।

अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार जायसवाल व उनकी टीम की ओर से एसएसबी जवानों को अग्नि सुरक्षा का अभ्यास कराया गया। जिसमें अग्निशमन पार्टी, सालवेज पार्टी, सुरक्षा पार्टी, रेस्क्यू पार्टी व फर्स्ट एड पार्टी बनाई गई और उनके काम के बारें में जानकारी दी गई। इसके साथ ही अग्नि के प्रकार, आग को बुझाने का तरीका, जानमाल की सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर बनाने व जख्मी तथा जले हुए व्यक्तियों को ले जाने का तरीका, अग्नि बुझाने वाले इक्यूपमेंट जैसे फायर इंस्टीग्यूसर, फायर बिटर, फायर हुक, फायर एक्स आदि का उपयोग करने व बिजली और एलपीजी गैस सिलेंडर से लगने वाली आग को बुझाना आदि का आभ्यास कर दिखाया गया। कमांडेन्ट ने बताया कि इस समय फायर सीजन चल रहा है। आग लगने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। अभ्यास कार्यक्रम से एसएसबी जवान खुद जागरूक व सीख कर लोगों की मदद के लिए तैयार होंगे। इस मौके पर अग्निशमन विभाग से आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार व एसएसबी से निरीक्षक रमेश कुमार, निरीक्षक ओमकार, सहायक उप निरीक्षक सोहन सिंह आदि मौजूद रहे।

सिद्ध पीठ श्री लक्ष्मण किला में जन्मोत्सव का उल्लास उच्च्च शिखर पर

—भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। मां सरयू के तट पर स्थित सिद्ध संतों की तपोस्थली लक्ष्मण किला में जन्मोत्सव का उल्लास चरम पर है प्रतिदिन नवाहपारायण पाठ के साथ बधाई गीत गाय जा रही है पीठाधीश्वर महंत मैथिली रमण शरण महाराज ने बताया कि भगवान श्रीराम का जन्म मानवता की प्रतिष्ठा शक्ति के अनुसंधान विश्व कल्याण के लोकमंगल के लिए हुआ है। प्रतिवर्ष रामनवमी इसीलिए मनाते हैं कि समाज में एक ऐसे नायक की प्रतिष्ठा हमेशा होती रहे, जिसने संयम, त्याग, बलिदान, वीरता और अनुशासन के साथ मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए जाय। उन्होंने बताया कि भगवान ने पृथ्वी पर मर्यादा स्थापित करने के लिए जन्म लिया था और आज जब अयोध्या में पुनः प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं तो उसका आनंद ही अलग है। श्री महाराज जी ने बताया कि इस वर्ष का जन्मोत्सव अन्य सभी वर्षों से उत्साह पूर्वक है जिसकी तैयारी लक्ष्मण किला में ही नहीं सभी मंदिरों में चल रही है।

श्री लक्ष्मण किला के अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण ने बताया कि मंदिर में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चौत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चौत्र शुक्ल पक्ष नवमी तक तदनुसार दिनांक 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक मनाया जाएगा।श्री रामनवमी के प्रथम दिवस कलश स्थापना श्री रामचरितमानस नवाह पाठ अखंड श्री सीतारामनाम संकीर्तन का शुभारंभ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में उनके करकमलों से किया गया जो नित्य सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संगीतमय श्रीरामचरितमानस पाठ, अखंड श्री सीतारामनाम संकीर्तन, रात्रि में 8 बजे से 11 बजे तक बधाई गायन होता है।

जन्मोत्सव पर हिंदू धाम में ब्रह्मर्षि डॉ वेदांती से श्री राम कथा सुन मंत्र मुक्त हुए श्रद्धालु

—भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित वशिष्ठ पीठ हिंदू धाम में मंदिर निर्माण के पहले 16 वर्षो तक निर्माण में आने वाली बढ़ाओ को दूर करने के लिए ब्रह्मर्षि डॉ रामविलास वेदांती महाराज ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर श्री राम कथा कही और आज जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं तब डॉ वेदांती प्रत्येक व्यक्ति को राम से जोड़ने के लिए श्री राम की कथा कह रहे हैं। श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में महाराज जी ने कहा कि माता सीता मां लक्ष्मी का अवतार है और जगत को शिक्षा देने के लिए अशोक वाटिका में उन राक्षसों की प्रताड़ना सा रही हैं जिसको 1 मिनट में समाप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता सीता का जन्म मर्यादा की स्थापना के लिए हुआ था और उनके पूरे जीवन में कोई यह नहीं कह सकता की प्रभु श्री राम और माता सीता ने कहीं भी मर्यादा तोड़ी हो।

कथा का विस्तार देते हुए श्री महाराज जी ने माता सीता के हरण से कथा आगे बढ़ाई अशोक वाटिका पहुंचे जहां रावण के साथ अन्य राक्षसों ने माता सीता को नाना प्रकार के भाई दिखाएं लेकिन वह डिग्गी नहीं और हनुमान जी महाराज माता सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचते हैं और रावण को डरते हुए अपनी आंखों से देखा और रावण के लाख मनाने पर जब माता नहीं मानी तो एक माह का समय देकर माता जानकी की रक्षा में लगी राक्षसियों भी माता जानकी को विविध प्रकार का भय दिखाने लगी, इतने में त्रिजटा वहां पहुंची सभी राक्षसों को हटाया दुखी माता जानकी को समझाया और वह भी चली गई तब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से मुद्रिका की गिराई, माता देखकर चकित हुई हनुमान जी का माता जानकी से साक्षात्कार हुआ यह कथा सुन श्रोतागण आत्म विभोर हो उठे। अंत में आरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया आए हुए अतिथियों का सम्मान श्री राम कथा के संयोजक महाराज जी के शिष्य वशिष्ठ पीठाधीश्वर महंत राघवेश दास वेदांती ने किया।

फर्जी दस्तावेज लगाकर भूमि बैनामा कराया था, 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संवाददाता—महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र स्थित लेदी गांव में भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज लगाकर भूमि का बैनामा करा लिया था। बुधवार को पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। लेदी निवासी अनिरुद्ध मिश्र ने क्षेत्राधिकारी को तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव लेदी रामचंद्रही स्थित अराजी संख्या 142 रकवा 3.678 हेक्टेयर व 246 रकवा 2.286 हेक्टेयर स्थित भूमि उनके नाम से है। भूमि पर वह काबिज होने के साथ ही खुद मालिक भी है।

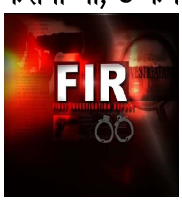

उक्त भूमि का प्रकरण उपजिलाधिकारी निचलौल न्यायालय में लंबित है। इसी बीच बीते 7 दिसंबर 2023 को कुछ भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उक्त भूमि को बैनामा करा लिया। इतना ही नहीं भू माफियाओं ने बैनामा लेखक की मदद से गवाही में लगे व्यक्तियों की फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर सरकारी कार्यालय में जमा करा दिया। हद तो तब हो गई, जब जालसाजों ने फर्जी आधार का प्रयोग करके मृत रायचंद के स्थान पर दीनदयाल को खड़ा कर फर्जी बैनामा करा लिया। संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित अनिरुद्ध मिश्र की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रसिद्ध नारायण दूबे निवासी दुबौली मातहनपार गोरखपुर, दीनदयाल वार्ड संख्या 27—134 गोपालपुरा सुजानगढ़ चुरू, राजस्थान, लोकनाथ निवासी अम्मरपुर, बासगांव गोरखपुर, पुरुषोत्तम राय निवासी डडवा चतुर, गोरखपुर, संजय सिंधी निवासी सी 151 रामप्रस्थ कालोनी, गाजियाबाद, चंद्रशेखर पांडेय निवासी निचलौल के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आग से करीब 700 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक

संवाददाता—श्रावस्ती। बुधवार को जिले के दो अलग अलग क्षेत्रों में अज्ञात कारण से आग लग गई। इस अग्निकांड में 200 किसानों की करीब 700 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर के मजरा लहोरकला गांव के पास बुधवार दोपहर में खेतों में आग लग गई। हवा तेज चलने के कारण आग एक के बाद एक खेतों को अपनी आगोश में लेते हुए आगे बढ़ने लगी। खेतों की ओर से उठती आग की लपटें व धुंआ देख लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे। लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। कोई अरहर के झाड़ से तो कोई पानी डालकर आब बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। आग की लपटों के आगे लोग बेवश थे और आग तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी व लोगों को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। साथ ही ट्रैक्टर से खड़ी फसल को जोतकर आग की चौन को तोड़ा जाने लगा। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत से घंटों बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक लोगों की करीब 700 बीघे से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसी तरह सिरसिया क्षेत्र के हेमपुर गांव के पास स्थित गैस एजेंसी के सामने दोपहर में अज्ञात कारण से खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आग कई लोगों के खेतों को अपनी आगोश में ले लिया। ग्राम प्रधान रईश की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरसिया क्षेत्र के हेमपुर में आग से पांच किसानों की 40 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिसमें रमेश चन्द्र यादव का सात बीघा, ओम प्रकाश का 30 बीघा, इब्राहिम का दो बीघा, कोयले का दो बीघा, छोटे का एक बीघा गेहूं जल गया। इसी तरह मल्हीपुर क्षेत्र के भगवानपुर के पास लगी आग में शोरगढ़ी, भगवानपुर, रमवापुर, शिकारी निवासी किसानों की खड़ी फसल खाक हो गई। भगवानपुर निवासी पहलाद का 15 बीघा, रामसुधि का चार बीघा, जीतलाल का चार बीघा, रक्षाराम का 20 बीघा, राया प्रसाद का 20 बीघा, रामफेरन का आठ बीघा, राम अभिलाख का आठ बीघा व राम मिलन का सात बीघे गेहूं की फसल जल गई। इसी तरह रमवापुर निवासी अरुणवीर सिंह, पंकज सिंह व पिंटू का पांच—पांच बीघा, राम लाल, शिव नारायण, कुसुम का एक—एक बीघा, सुषमा सिंह का 15 बीघा, राम अंचल सिंह का 15 बीघा, संतराम यादव का पांच बीघा, इंद्रजीत का एक बीघा, सत्यवती देवी का 24, शालिमा बानो का 24 बीघा, कलफनाथ सिंह का सात बीघा, हरिपाल मिश्रा का दो बीघा, गुड्डू का 20 बीघा, शिव बहादुर सिंह का 22 बीघा, हरिराम का 10 बीघा गेहूं जल गया। इसी तरह गणेशपुर निवासी बैधू का छह बीघा, जुगरा का दो बीघा, मोहम्मद असलम का तीन बीघा व मनीराम का दो बीघे सहित अन्य किसानों को मिलाकर करीब 700 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षति आंकलन किया।

सिरसिया थाना क्षेत्र के राजगुरु जुड़पनिया में बुधवार शाम को अज्ञात कारण से सोहनलाल पुत्र रामतीरथ के फूस के मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक आग ने बगल के संचितराम पुत्र भुल्लर के घर को पकड़ लिया। इस दौरान गांव में अफरा तफरी मची रही। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

भारतीय बस्ती अयोध्या के स्थापना दिवस पर विमर्श: सम्मानित हुई विभूतियां

भारतीय बस्ती संवाददाता— अयोध्या। दैनिक भारतीय बस्ती अयोध्या संस्करण का 19 वां स्थापना दिवस श्री कृष्ण गौशाला लवकुश नगर में मनाया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार रघुवर शरण और मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रमेश मिश्रा कमलाकांत सुंदरम सुशील पाण्डये ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम आरम्भ हुआ। संस्करण के प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर के स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रघुवर शरण ने कहा कि दैनिक भारतीय बस्ती का 19 वां स्थापना दिवस प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में मनाया जा रहा है लेकिन अनुभव चार दशक से अधिक का है और उस अनुभव का लाभ अयोध्या संस्करण को प्राप्त हो रहा है। अनवरत अखबार निकालना वर्तमान समय में लोहे का चना चबाने जैसा मुश्किल है लेकिन कुशल प्रबंधन सहयोगी नीतियां दैनिक भारतीय बस्ती अखबार को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे सहृदय और लगभग उम्र में बराबर दिनेश चन्द्र पाण्डेय जी की बहुत बड़ी भूमिका है जिनका अखबार के प्रति निष्ठा और समय से प्रबंधन इस संस्थान को आगे बढ़ा रहा है और निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। मुख्य अतिथि कमलाकांत सुंदरम ने कहा कि सब के सहयोग से ही अखबार आगे बढ़ रहा है और यह निरंतर बढ़ता रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार निमिष अनूप सोनकर सत्य प्रकाश राजेंद्र पाण्डेय चंद्र मोहन श्रीवास्तव बमबम यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्करण के प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बस्ती संस्करण के साथ अयोध्या संस्करण का शुभारंभ हुआ जिसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे पत्रकारिता के गुरु रहे राज किशोर मौर्या को जाता है और उन्हीं के माध्यम से कार्यालय की व्यवस्था महंत राम कुमार दास ने करवाई और सभी के सहयोग से अखबार धीरे—धीरे हमारे मुखिया संपादक दिनेश चंद्र पाण्डेय और प्रदीप चंद्र पाण्डेय के संरक्षण में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आचार्य मणि शंकर, अभिजीत तिवारी, आदित्य तिवारी, जगदीश तिवारी, दिलीप सिंह, साधु, श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, अरविंद सिंह, राकेश मिश्र सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

हाईकोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

संवाददाता—बलरामपुर। सादुल्लाहनगर थाने की जमीन कब्जा कर मजार बनाए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही सवाल उठाया है कि राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अभिरक्षा में रहता है तो उसमें कोई विधायक कैसे हेराफेरी कर सकता है। साल 2013 में आरिफ अनवर हाशमी विधायक थे और प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में वह आरोपित हैं। पूर्व विधायक ने एफआईआर के विरूद्ध हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीते चार अप्रैल को कई सवाल उठाए। एफआईआर में खतौनी में नाम परिवर्तन करने वाले किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। साल 2013 में हुए हेराफेरी के लिए सीधे तत्कालीन सपा विधायक को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। जबकि राजस्व नियमावली के तहत यह माना गया कि खतौनी में नाम का परिवर्तन राजस्व अधिकारी के ही स्तर से संभव है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि कोई निजी व्यक्ति राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी बिना राजस्व अधिकारी से मिले कैसे कर सकता है। इस पूरे मामले में दो सप्ताह में काउंटर एफीडेविट मांगा है साथ ही याची पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को भी एफआईआर की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। 15 दिन बाद काउंटर एफीडेविट दाखिल होने के बाद हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई की तिथि तय करेगा। थाने की जमीन पर मजार बनाकर कब्जा करने और भाई मारुफ अनवर हाशमी को समिति बनाकर मुतब्वली बनाने के मामले में बीते एक अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसमें साल 2013 में हेराफेरी कर थाने की जमीन को खतौनी में समिति के नाम दर्ज कराने के लिए हेराफेरी का आरोप पूर्व विधायक पर लगे थे। स्थानीय लेखपाल सुनील कुमार ने मामले की एफआईआर में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनके भाई मारूफ अनवर हाशमी, परिवार के सदस्यों और समिति के सदस्यों के नाम दर्ज कराई थी। जिसमें मारुफ अनवर हाशमी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। खतौनी में हेराफेरी के समय उतरौला तहसील में तैनात एसडीएम व तहसीलदार अब जांच के दायरे में आ गए हैं। पूरे मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त एसडीएम संतोष ओझा ने बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

जंगल से आबादी क्षेत्र में आया जंगली भैसा, भिटौली में तीन लोगों पर किया हमला, एक की मौत

संवाददाता—महराजगंज। घुघली थानाक्षेत्र में बुधवार सुबह दस बजे आबादी क्षेत्र में जंगली भैंसा आ गया। देखकर पहले लोगों ने इसे सांड़ समझा और गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन, खेत में काम कर रहे खुद्दी पर अचानक से हमला कर उनकी जान ले ली। जबतक लोग समझते उतनी देर में दो और लोगों को घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन्य जीव को लेकर परेशान रही।

फोटो खींचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा तब जानकारी हो सकी कि ये जंगली भैंसा है। अभी तक भैंसे ने तीन लोगों को अपना शिकार बनाया है।

ईद त्योहार को लेकर हुई जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती

संवाददाता—श्रावस्ती। आज जिलेभर में ईद—उल—फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा ने बताया कि इस वर्ष ईद—उल—फितर का त्योहार चन्द्रदर्शन के अनुसार 11 अप्रैल यानि गुरुवार को मनाया जाना सम्भावित है। त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्रों व उनके ग्रामों में नमाज अदा करने वाले ईदगाहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को 23 अधिकारियों की तैनाती जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाती की गई है। जो अपने—अपने सम्बन्धित क्षेत्र की मस्जिदों ईदगाहों पर उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने तैनात किये गये सभी अधिकारीगणों को निर्देशित किया है कि वह ईदगाहों पर नमाज के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उप जिला मजिस्ट्रेट भिनगा, इकौना व जमुनहा को सूचित करेंगे।

कई स्थानों पर आग ने बरपाया कहर, गेहूं की फसल व मकान जले

संवाददाता—संतकबीरनगर। जिले में बुधवार को आग ने कई स्थानों पर कहर बरपाया। बखिरा के बरईपार व धनघटा के करनपुर में 52 बीघा गेहूं की फसल जल गई। वहीं कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर—लहुरादेवा में आठ लोगों की झोपड़ी व पक्का मकान जल गया। पूरी गृहस्थी खाक हो गई। बखिरा थाना क्षेत्र के बरईपार में बुधवार की लगभग 11 बजे के करीब बरईपार गांव के सीवान में शार्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जिससे बरईपार, छपिया अव्वल, बेलहसा, जसवल भरवलिया गांव के दर्जनों किसानों का करीब पचास बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। फसल से धुंआ उठता देख किसानों के होश उड़ गए। आस—पास के गांवों के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण आग बुझाने लगे। आग रोकने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करने लगे। जब तक आग रुकती किसानों का 50 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। आग बुझने के बाद पहुंची फायर बिग्रेड़ की गाड़ी देखते ही किसान आक्रोशित हो गए। फायर गाड़ी का घेराव कर लिया। मौके पर अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बाद में पुलिस के समझाने—बुझाने के बाद मामला शान्त हुआ। छपिया अव्वल निवासी अशोक पाठक व सभापति पाठक, रिषिदेव पाठक, प्रकाश चन्द्र पाठक सभी को एक—एक बीघा, गिरिजा शंकर पाठक, सरोज पाठक, अष्टभुजा पाठक का पांच—पांच बीघा समेत इसके अलावा बरईपार निवासी चंदन सिंह का दो बीघा, ठाकुर प्रसाद का चार बीघा, शंखधारी का पांच बीघा, वेद प्रकाश सिंह का चार बीघा, भुवर सिंह का आठ केसर सिंह 5 मण्डी, करतार सिंह का एक बीघा लाल साहब का पांच बीघा, कुंवर सिंह का तीन बीघा, गीता सिंह, कुमार अशोक सिंह, इंद्रजीत सिंह का 8 बीघा, बेलहसा व जसवल भरवलिया के किसानों की भी गेहूं की फसल जल गई। कुल 50 बीघा से अधिक गेहूं की फसल खेत में जलकर राख हो गई। धनघटा तहसील क्षेत्र के करनपुर बुधवार को अज्ञात कारणों से लगी आग से दो बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। करनपुर में दिनेश चौधरी के खेत में बुधवार को अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग की लपट देखकर लोग दौड़ पड़े। देखते ही देखते दिनेश चौधरी का दो बीघा खेत मेंगेहूं का खेत जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार योगेंद्र पांडेय ने नुकसान हुए फसल का आंकलन करते हुए सरकारी सहयोग दिलाने का आश्वासन दिया। खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा गांव में बुधवार को करीब 11 बजे के लगभग अज्ञात कारणों से लगी आग से आठ लोगों के आवासीय मकान व झोड़ी जलकर राख हो गई। पूरी गृहस्थी जलने से लोगों का काफी नुकसान हो गया। अचानक गांव के घरों से आग की लपटें उठने लगीं। लोग शोर मचाते हुए आग बुढाने के लिए दौड़ पड़े। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीण अपने संसाधनों से आग बुझाने में जुट गए। आग की चपेट में आने से रघुनन्दन, बृजबिहारी, राम किशुन, जनमेजर, जिन्न पुत्रगण सिरपत व बगल में स्थित कमरे आलम, अबरे आलम, सदरे आलम पुत्रगण नजीर का छप्पर व पक्का मकान जल गया। आग से घर से सम्बंधित गृहस्थी का सारा सामान जल गया। काफी देर बाद पहुंची दमकल गाड़ी ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

भगवान शिव देवों के देव महादेव, माता सती उनकी शक्ति

—9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ और श्रीराम कथा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। उन्हें प्रसन्न करना भी आसान है इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। लेकिन माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी हैं। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। देवी भगवती का रूप होने के कारण सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी। उन्हें इसका फल भी प्राप्त हुआ और उन्हें शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। यह सद् विचार कथा व्यास अंकितदास जी महाराज ने श्रीराम जानकी मंदिर निपनिया चौराहा में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त दसकोलवा में आयोजित 9 दिवसीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ और श्रीराम कथा में तीसरे दिन व्यक्त किया।

कथा व्यास रूद्रनाथ मिश्र ने श्रीराम कथा के विविध प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुये कहा कि 'सियाराम मय सब जग जानी'' जगत में ऐसा कुछ भी नही जो परमात्मा से भिन्न हो। भक्ति ही नही शत्रु भाव से भी जिसने परमात्मा को अपने चित्त में रखा उसका कल्याण हो गया।संसार में जड़ चेतन जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है उसमें परमात्मा का वास है। यह सृष्टि ईश्वर की इच्छा पर संचालित हो रही है। जीव का धर्म है कि वह सहजता से शिव में विलय के लिये अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करे जिससे जीवन और जगत दोनों का कल्याण हो। धर्म की सहज व्याख्या करते हुये महात्मा जी ने कहा कि धर्म हमारे जीवन को उदार बनाता है। श्रीराम कथा के प्रत्येक पात्र जीवन को सहज बनाने का संदेश देते हैं। सृष्टि में जब—जब अनीति, कुबुद्धि, कुविचार का विस्तार होता है ईश्वर विभिन्न रूपों में जन्म लेकर जगत का मार्ग दर्शन करते हैं।

ब्रम्हलीन बाबा महादेव दास की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान में यज्ञाचार्यों ने विधि विधान से मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के लिये जल में विश्राम कराया। मुख्य रूप से प्रभात शास्त्री, आशुतोष दास, आदित्यदास, नीरज दास, ऋतिक दास, ओम नरायन, संगम शुक्ल, मुख्य यजमानगण दयाशंकर, राजकुमारी, नागेन्द्र मिश्र , राम सोहरत, शान्ती देवी, कौशल कुमार, कुसुम, सुनील पाण्डेय, मीरा देवी, सुल्ताना बाबा, सरोज मिश्र के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल रहे।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
प्रकीर्णवाद सं0— 05/2023
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान—बांसी जिला—सिद्धार्थनगर

श्रीमती मीना
बनाम
रामभवन

1. रामभवन 2. लवकुश 3. दशरथ पुत्रगण रामदीन निवासी परसातौफीर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जनपद—सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष
4. श्रीमती अनारकली पत्नी रामभवन 5. श्रीमती शान्ती पत्नी दशरथ निवासी परसातौफीर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील बांसी जनपद—सिद्धार्थनगर
—प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी 24—05—2024

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **24—05—2024** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 55/2024
पुष्पा सिंह—सायलान

1. पुष्पा सिंह पत्नी स्व0 सत्येन्द्र कुमार सिंह 2. सन्देश प्रताप सिंह 4. आदेश प्रताप सिंह पुत्रगण स्व0 सत्येन्द्र कुमार सिंह बबलायत श्रीमती पुष्पा सिंह माता हकीकी 4. हर्षिता सिंह पुत्री स्व0 सत्येन्द्र कुमार सिंह निवासीगण 607 आई ब्लाक सिल्वरलाइन एपार्टमेंट बी बी डी कालेज के सामने फैजाबाद रोड लखनऊ उ0प्र0 227105

तारीख पेशी 26—04—2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 26—04—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत— श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 192/2023
परमात्मा—सायलान

1. परमात्मा पुत्र स्व0 रामलगन 2. सुधीर निषाद 3. आदित्य निषाद पुत्रगण धरमदास 4. सुमित्रा देवी निषाद पत्नी धरमदास निवासीगण ग्राम मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती 5. अनीता देवी पत्नी मोतीलाल पुत्री धरमदास निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती हाल मुकाम ग्राम पोखरा बाजार (पोखरामय हसनपुर) तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला—बस्ती 6. कविता निषाद पत्नी विनोद निषाद पुत्री धरमदास निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती हाल मुकाम बीरउपुर तप्पा नगर हवेली परगना नगर पूरव तहसील हर्रैया जिला—बस्ती 7. रेनू निषाद पुत्री धरमदास 8. सरिता निषाद पुत्री धरमदास निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती 9. राजमुनि पत्नी अमरनाथ पुत्री रामलगन निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती हाल मुकाम ग्राम खखराखुर्द कला तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला—बस्ती 10. मेनका पत्नी कनिकराम पुत्री रामलगन ग्राम नदाये पोस्ट संग्रामपुर तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला—बस्ती हाल मुकाम निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती 11. कलवाती देवी पत्नी भईयाराम पुत्री रामलगन निवासी मूड़घाट तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती हाल मुकाम रघुनाथपुर तप्पा हरदी परगना बस्ती पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 24—04—2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 24—04—2024 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

देवी मंदिरों में दूसरे दिन भी, गूंजा—या देवी सर्वभूतेषु शक्ति—रूपेण संस्थिता

संवाददाता—गोरखपुर। चैत्र नवरात्र प्रतिपदा मंगलवार को प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। दूसरे दिन बुधवार को भी सुबह से ही भक्तों ने अपनी आस्था श्रद्धा मां के दरवाब में जाकर निवेदित की। मंदिरों और घरों में सोमवार से ही कलश स्थापना करके भक्तों ने देवी भगवती का पूजन शुर कर दिया है। सूर्योदय से पहले ही मंदिरों के गर्भगृह के सामने भक्तों की कतार लग गई। दिनभर घंट—घड़ियाल के साथ या देवी सर्वभूतेषु...की गूंज से माहौल भक्तिमय रहा। संध्या आरती में भक्तों की संख्या बढ़ गई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में भजन—कीर्तन किया। नवरात्र में शहर के दाउदपुर व गोलघर काली मंदिर, कालीबाड़ी, दुर्गा मंदिर पादरी बाजार एवं हठी माई मंदिर में मंगलवार की तरह बुधवार को भी सुबह ही श्रद्धालु, परिवार सहित पहुंचने लगे। शहर से 12 किमी दूर कुसुम्ही जंगल स्थित बुढिघ्या माई मंदिर में भोर से ही भक्तों का तांता लग गया। दिनभर जय माता दी के जयकारे लगते रहे। मंदिर के पुजारी रामानंद ने बताया कि सड़क के किनारे भोर तीन बजे ही भक्त आ गए थे। वन विभाग के चौकीदार ने भोर में ही बैरियर खोल दिया, जिससे भक्तों को दर्शन—पूजन में असुविधा नहीं हुई। मंदिर में दिनभर धार्मिक अनुष्ठान हुए। शाम को आरती में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवती की स्तुति की। मंदिरों के साथ घरों में भी कलश स्थापना हुई। देवी भक्तों ने नवरात्र में नौ दिन का व्रत शुरू किया तो कुछ लोग प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का संकल्प लिया। नवरात्र में मंदिर का पट सुबह 5 खुल जाता है और सुबह 7 बजे आरती होती है तो भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। रात 8 बजे आरती होती है, जबकि रात 10 बजे तक मंदिर में दर्शन पूजा होता है। मंदिर के महंत रवींद्र दास ने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर प्राचीन है। बताया जाता है कि पहले रेती चौक में नदी बहती थी और वहीं मंदिर बना था। ज्योतिर्विद बृजेश पांडेय ने बताया कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के ध्यान व पूजन का विधान है। इनका स्वरुप सौम्य एवं ज्ञानमय है। श्वेत वस्त्र धारण कर माता बुद्धि को स्थिर करती हैं। इनके एक हाथ में जपमाला तो दूसरे में कमंडल शोभायमान रहता है। इनकी साधना से मानसिक शक्ति का विकास होता है। मन एकाग्र होता है। विद्यार्थियों को इनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत— श्रीमान सप्तम अति0 जिला जज महोदय बस्ती जिला—बस्ती
मुर्त0 वाद सं0 194/2022

गनई मृतक आदि
बनाम
किशोर चन्द्र आदि

1/1 सत्यभामा बेवा किशोर चन्द्र 1/2 रिंकू 1/3 संजय पुत्रगण किशोर चन्द्र 3. ध्रुवचन्द्र 4. सुरेश चन्द्र 5. गिरजेश 6. जगदीश 8. राकेश चन्द्र पुत्रगण अछैबरलाल साकिनान मौजा बनगवा तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम पूर्व तहसील बांसी वर्तमान तहसील रूधौली जिला बस्ती 9. बलराम पुत्र सीताराम साकिन मौजा भुसहा हाल मुकाम अमघटी तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम पूर्व तहसील बांसी वर्तमान तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 24—04—2024

अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 24 महीना 04 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय— श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
इजरा वाद सं0 04/2023

हियाराम
बनाम
अखिलेश कुमार आदि

1. अखिलेश कुमार चौधरी 2. अभिषेक कुमार चौधरी पुत्रगण स्व0 राहुल कुमार चौधरी 3. श्रीमती रीता देवी पत्नी स्व0 राहुल कुमार चौधरी 4. श्रीमती केवला देवी पत्नी स्व0 परशुराम चौधरी साकिनान मौजा बिहरा नैपुरवा पो0 महराजगंज तहसील हर्रैया थाना हर्रैया जिला—बस्ती पिन—272155

तारीख पेशी 19.—04—2024

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2024 के माह 04 के 19 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी। द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0 116/2023
अदालत—श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बस्ती जिला—बस्ती

हरीश चन्द्र
बनाम
श्रीमती उमा

श्रीमती उमा उम्र 28 वर्ष पत्नी हरीशचन्द्र निवासी थानाखास पोस्ट हर्रैया तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला—बस्ती पुत्री राम पियारे निवासी सलेमपुर पाण्डेय पोस्ट गोपीनाथपुर तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील व जिला—बस्ती

तारीख पेशी 14—05—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 14 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान द्वादश अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0 331/2000

रामहित
बनाम
सुभावन

1/1/1 जयकरन 1/1/2 बलिकरन पुत्रगण दयाराम 1/1/3 श्रीमती लक्ष्मीना पत्नी दयाराम निवासीगण मौज मड़वानगर टोला बरगदवा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला—बस्ती

तारीख पेशी 16—04—2024

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 16 माह 04 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0 23/2023
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

विजय कुमार पान्डेय
बनाम
विजय लक्ष्मी

1. विजय लक्ष्मी उम्र 60 वर्ष पत्नी शीतला प्रसाद ग्राम पेन्दा तप्पा नवाई परगना नगर पश्चिम तहसील हर्रैया जिला—बस्ती

तारीख पेशी 29—05—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
मूलवाद सं0 33/2023
अदालत—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती

गिरधारी तिवारी
बनाम
विनय कुमार सिंह

1. विनय कुमार सिंह पुत्र जमादार सिंह निवासी देवयाबक्स पाण्डेय पो0 चोरखरी तप्पा पुरैना परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला—बस्ती हाल मुकाम लक्ष्मनपुर पो0 सरैया अतिबल तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला—बस्ती

तारीख पेशी 18—05—2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 18 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय—
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय—
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय—
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com
bhartiyabasti@gmail.com